भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 365
उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

अटल वयो अभ्युदय योजना

365. श्री नवीन जिंदलः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत सहायता प्राप्त या पुनर्वासित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) 2020 से लेकर अब तक विगत पांच वर्षों के दौरान एवीवाईएवाई के अंतर्गत स्वीकृत या उन्नत किए गए वरिष्ठ नागरिक गृहों, डे केयर केंद्रों या सतत देखभाल गृहों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) एवीवाईएवाई के ऑनलाइन पोर्टल के अंतर्गत नामांकित और सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन एसएजीई पहल के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एवीवाईएवाई को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख उप-योजनाओं या संघटकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार वरिष्ठ जनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, दूरस्थ चिकित्सा और घर-आधारित देखभाल को शमिल करने के लिए एवीवाईएवाई के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना चला रहा है। इस योजना के घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम) -** आईपीएसआरसी के तहत, नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी

क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से पिछले पांच वर्षों के दौरान आईपीएसआरसी के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन वृद्धाश्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना) -** भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना) -** इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है और जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 से पिछले पांच वर्षों के दौरान आईपीएसआरसी के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या की राज्यवार सूचना **संलग्नक-III** में दी गई है।

iv. **एल्डरलाइन-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करता है।

v. **वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैडर भी बनाया जा सके।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल-** वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन

के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** - इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और जयपुर में नौ कंपनियां - वृद्धावस्था की देखभाल और डायलिसिस से लेकर मोबाइल डायग्नोस्टिक्स, सीनियर ट्रैवल, डिजिटल वसीयत, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और मस्तिष्क स्वास्थ्य तक के क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जिन्हें सेज के तहत मंजूरी दी गई थी और उन्होंने पिछले दो वर्षों में लगभग 10,000-15,000 वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की है।

(ङ): सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही एक व्यवस्थित रूप से देखभाल किए जाने की बढ़ती आवश्यकता के प्रति सचेत है और अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा रही है। एवीवाईएवाई में पहले से ही ऐसे घटक हैं जो वृद्धजनों के मानसिक स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के तहत सहायता प्राप्त प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक गृह को अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता और योग चिकित्सक को नियुक्त करना होता है। परामर्शदाता निवासी लाभार्थियों के साथ जुड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य सुधार में सहायता करने के लिए परामर्श प्रदान करता है। योग चिकित्सक भी सभी निवासी लाभार्थियों के लिए नियमित योग सत्र आयोजित करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, सेज के तहत सहायता प्राप्त कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य, घर पर देखभाल और टेलीमेडिसिन की जरूरतों को पूरा कर रही हैं जिसमें शुरुआती मनोभ्रंश का पता लगाने के लिए ब्रेन हेल्थ प्लेटफार्म, प्रशिक्षित होम-केयर और नर्सिंग सेवाएं तथा आईओटी-समर्थित पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डीवाइस के माध्यम से टेलीमेडिसीन की सहायता शामिल है।

संलग्नक- I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 365, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

विगत 05 वर्षों में एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	16275	21050	25850	22900	23200
बिहार	50	0	0	400	350
छतीसगढ़	150	225	50	225	325
गोवा	50	0	0	0	0
गुजरात	1500	250	175	425	275
हरियाणा	1175	1050	925	1700	1625
हिमाचल प्रदेश	4850	25	25	75	100
झारखंड	75	100	150	250	300
कर्नाटक	6370	1420	920	2340	2415
केरल	100	100	50	200	75
मध्य प्रदेश	475	450	375	750	675
महाराष्ट्र	6895	5915	5835	12160	11670
ओडिशा	12895	12470	7350	14550	19850
पंजाब	675	600	600	0	0
राजस्थान	550	750	375	975	600
तमिलनाडु	21320	31895	16795	32940	33715
तेलंगाना	5450	10050	350	15550	10875
उत्तर प्रदेश	965	1595	1295	2290	2215
उत्तराखंड	75	25	50	100	75
पश्चिम बंगाल	15300	15150	10100	20900	5875
दिल्ली	125	25	125	200	200
पांडिचेरी	25	125	100	200	100
अरुणाचल प्रदेश	125	50	0	50	0
असम	29995	25365	15475	25690	20865
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	650	200
मणिपुर	10750	10450	700	1975	16425
मेघालय	100	200	0	0	0
मिजोरम	25	0	0	0	0
नागालैंड	50	50	50	275	325
त्रिपुरा	50	0	25	50	100
कुल योग	**136440**	**139385**	**87745**	**157820**	**152430**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 365, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

पिछले 05 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धाश्रमों की परियोजनाओं की संख्या:-

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	84	76	75	74	74
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1	1	1
4	असम	38	34	32	30	30
5	बिहार	1	0	0	9	9
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	3	3	3	3	3
8	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	3	2	1	2	2
10	गोवा	2	0	0	0	0
11	गुजरात	8	6	6	8	10
12	हरियाणा	17	11	11	12	12
13	हिमाचल प्रदेश	2	1	1	2	2
14	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	13	13
15	झारखंड	2	0	2	3	3
16	कर्नाटक	38	35	38	40	40
17	केरल	3	1	1	3	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	16	14	16	34	34
21	महाराष्ट्र	78	62	52	47	47
22	मणिपुर	36	24	24	38	38
23	मेघालय	2	2	2	2	2
24	मिजोरम	2	0	0	4	4
25	नागालैंड	0	0	0	5	5
26	ओडिशा	84	99	86	82	82
27	पुदुचेरी	1	2	2	2	2
28	पंजाब	3	0	0	0	0
29	राजस्थान	21	24	26	26	26
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	75	76	74	72	70
32	तेलंगाना	19	16	16	19	19
33	त्रिपुरा	3	3	3	2	2
34	उत्तर प्रदेश	34	34	37	40	43
35	उत्तराखंड	2	2	2	2	2
36	पश्चिम बंगाल	28	25	26	28	28
	कुल	**607**	**553**	**537**	**603**	**606**

संलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 365, जिसका उत्तर 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले 05 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	431	431	667	243	1437
3	अरुणाचल प्रदेश	568	568	0	49	389
4	असम	2318	2318	14610	2626	583
5	बिहार	1305	1305	2634	6290	18406
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	128
7	छत्तीसगढ़	2329	2329	163	382	1452
8	दिल्ली	29	29	188	862	2153
9	गोवा	0	0	0	86	2069
10	गुजरात	0	0	0	1702	2841
11	हरियाणा	1136	1136	944	1010	18592
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	12	229	1414
13	जम्मू-कश्मीर	8	8	1141	583	3364
14	झारखंड	0	0	990	240	3532
15	कर्नाटक	123	123	2090	2439	7468
16	केरल	911	911	0	10	1571
17	लद्दाख	0	0	0	0	323
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	334
19	मध्य प्रदेश	2426	2426	430	3480	4971
20	महाराष्ट्र	6298	6298	63007	5145	13510
21	मणिपुर	0	0	1421	756	1377
22	मेघालय	0	0	0	34	303
23	मिजोरम	364	364	0	0	1008
24	नागालैंड	316	316	680	1784	843
25	ओडिशा	426	426	671	2630	4227
26	पुदुचेरी	0	0	0	34	490
27	पंजाब	752	752	257	707	4547
28	राजस्थान	475	475	883	4479	6543
29	सिक्किम	0	0	0	0	289
30	तमिलनाडु	0	0	0	5	596
31	तेलंगाना	1126	1126	2757	753	663
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	161	161	0	68	1114
33	त्रिपुरा	2046	2046	939	1122	1161
34	उत्तर प्रदेश	17339	17339	2356	21901	44710
35	उत्तराखंड	0	0	331	1583	605
36	पश्चिम बंगाल	19	19	103	2099	1161
	कुल	**40906**	**40906**	**97274**	**63331**	**154174**

*****